

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
पीठासीन अधिकारी श्री जय कौशिक आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2024

प्रार्थना पत्र अ. धारा 136 राज. लैण्ड रेवन्यू एक्ट

पृथ्वी राज पुत्र पालाराम जाति महजबी निवासी ढावा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

उपरिस्थित :- श्री बलवीर सिहाग अधिवक्ता - प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :- 23.09.2024

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट के तहत इस आश्रय  
का पेश किया कि प्रार्थी के नाम चक 1 बीजीपी के खाता संख्या 3/15 ज.स.  
2072-2075 में 0.943 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम  
पृथ्वी सिंह दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार  
कार्ड, में पृथ्वी राज अंकन है अब सही नाम दर्ज न होने के कारण ऑन लाईन होने के  
कारण प्रार्थी को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। व प्रार्थी को कोई  
सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब प्रार्थी उक्त खाता में अपना नाम पृथ्वी सिंह के बजाय  
पृथ्वी राज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया कि उक्त  
भूमि में प्रार्थी का नाम दूरुस्त करवा दो तो अप्रार्थी ने कहा कि माननीय न्यायलय के  
आदेश लेकर आओ तभी दूरुस्त किया जावेगा बस यही प्रार्थना पत्र का कारण है।

अतः श्रीमान्जी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक नम्बर 1 बीजीपी के  
खाता संख्या 3/15 ज.स. 2072-2075 में 0.943 है। कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम पृथ्वी  
सिंह को दूरुस्त किया जाकर पृथ्वी राज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना-पत्र पेश होने पर तथा रीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र  
दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार  
राजस्व संगरिया से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में रिपोर्ट चाही जाने पर  
उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 136 एलआरएक्ट/भू030/2024/3252 दिनांक 30.08.2024  
द्वारा चक 01 बीजीपी खाता संख्या 3/15 में दर्ज नाम पृथ्वीसिंह पुत्र पालाराम जाति  
मजहबी के नाम 0.943 है। नहरी मय खाला भूमि दर्ज रिकार्ड होना एवं प्रार्थी का नाम  
पृथ्वीराज पुत्र पालाराम शुद्ध करना उचित बतलाते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई है। जो

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

शामिल पत्रावली है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये जैसे चित्र प्रति आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, राशन कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत ढाबा द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र आदि पेश किये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजाता के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार राजस्व संगरिया की प्राप्त रिपोर्ट से प्रार्थना पत्र प्रार्थी पूर्णतः सिद्ध पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:: आदेश ::—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 1 बीजीपी खाता संख्या 3/15 ज.स. 2072-2075 में प्रार्थी का नाम पृथ्वी सिंह पुत्र पालाराम को दूरुस्त कर उसके स्थान पर पृथ्वी राज पुत्र पालाराम शुद्ध किया जावे। शेष प्रविष्टि/यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन है तो यथावत रहेगा। उक्त निर्णय की एक प्रति तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

+

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिवक्तीरी,

संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक : रीडर / 2024 / 352

दिनांक :- 23.9.2024

तहसीलदार (राजस्व)  
संगरिया



विषय :- प्रार्थना पत्र संख्या 19/2024 अनवान पृथ्वी राज बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना-पत्र संख्या 19/2024 अनवान पृथ्वी राज बनाम तहसीलदार राजस्व संगरिया में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2024 की प्रति आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

अतः आप उक्त निर्णय की नियमानुसार पालना कर रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: निर्णय की प्रति

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया